न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 662–दो/11 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–3–11 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 242/06–07/अपील.

1– भेरूलाल पिता हरिराम
2– ताराचंद पिता हरिराम
3– वरदीचंद पिता हरिराम
निवासीगण सीतामऊ फाटक के पास मंदसौर
परगना व जिला मंदसौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– मोतीलाल पिता शंभु
निवासी नयापुरा रोड, मंदसौर
2– रमेशचन्द्र दत्तक पुत्र भागीरथ
निवासी गोल चौराहा, मंदसौर
3– गोतम पिता मथुरालाल माली
निवासी चंद्रपुरा, मंदसौर
4– हजारीलाल पिता लछमन
निवासी माली चौक, मंदसौर
5– अय्यूब मोहम्मद पिता हाफीज मोहम्मद
निवासी छीपाबाखल, मंदसौर
परगना व जिला मंदसौर .....अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–3–11 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतक शाणीबाई पति शंभु ने जिला न्यायाधीश, मंदसौर के वाद कमांक 5ए/72–86 में पारित जयपत्र के अनुसार बटवारा हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार, मंदसौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 16/अ–27/05–06 दर्ज कर दिनांक 21–3–2006 को आदेश पारित कर व्यवहार न्यायालय के आदेश में पालन में ग्राम टोड़ी की भूमि सर्वे नम्बर 222 एवं 223 रकबा 1.183 हेक्टेयर में से 1/2 भाग पर मृतक शाणी बाई के उत्तराधिकारी मोती लाल पिता शंभुलाल तथा अनावेदक कमांक 2 रमेशचन्द्र गोदी पुत्र भागीरथ का बटवारा/नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड मंदसौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24–3–2007 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–3–11 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा दिनांक 13–12–2017 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन पत्र के साथ व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 23 नियम 1 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आवेदकगण सहित अनावेदक कमांक 1 मृतक की ओर से सुरेश के हस्ताक्षर हैं । उनके द्वारा राजीनामा में निगरानी का निराकरण करने का अनुरोध किया गया है ।

5/ आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 1 मृतक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा व्यवहार न्यायालय की डिक्री के आधार पर उचित कार्यवाही की गई है । राजीनामा के आधार पर व्यवहार न्यायालय की डिक्री को परिवर्तन करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । अतः पक्षकारों को व्यवहार न्यायालय से ही संशोधित डिक्री पारित करानी चाहिए । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण की अपील निरस्त करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–3–11 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर